

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 107/2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00311

अपीलांट :-	बनाम	रेस्पोंडेन्टगण :-
1. देवाराम पुत्र स्व. श्री नेतीया उर्फ नेताराम जी		1. श्रीमती मीराबाई धर्मपत्नी शंकरलालजी जाति मेघवाल निवासी रोवाडा तहसील शिवगंज जिला सिरोंही (राज.)
2. छोगाराम पुत्र स्व. श्री दला उर्फ दलाराम जी जातिगण मीणा, निवासीगण बलवना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) हाल निवासी स्वरूपगंज, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोंही (राज.)		2. श्रीमान तहसीलदार (भूमिधारी महोदय), सुमेरपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :- अपीलांट की ओर से श्री नारायणलाल कुमावत उपस्थित
रेस्पोंडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री हरजीराम जी अनुपस्थित

--: निर्णय :-

दिनांक :- 16-4-21

यह अपील अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम बलवना के खसरा नं. 573 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/संपरिवर्तन/ 14/811 दिनांक 18/6/2014 के विरुद्ध पेश की गई है। तथा म्याद बाहर होने से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब कर अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया जाकर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा ग्राम बलवना तहसील सुमेरपुर के गत खसरा नंबर 213 रकबा 2।1 बीघा (सवा दो बीघा एक बिस्वा) किस्म बारानी प्रथम के खातेदार अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नेतीया व दला पिसरान गोमा मीणा के नाम दर्ज थी अपीलांट संख्या 1 के पिता नेतीया उर्फ नेताराम की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व व अपीलांट संख्या 2 के पिता दला की मृत्यु 13 वर्ष पूर्व हो चुकी है नेतीया के विधिक वारिसान अपीलांट संख्या 1 देवाराम व उसकी माता गजी बाई है तथा दला के विधिक वारिसान अपीलांट संख्या 2 छोगाराम व उसका भाई शांतिलाल है। स्व. नेतीया व दला पिसरान गोमा कौम मेणा संवत 2015 व जमाबंदी संवत 2013 से 2017 व संवत 2026 से 2030 में बतौर खातेदार दर्ज थे। उक्त दोनों नेतीया व दला पिसरान गोमा मेणा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। उक्त आराजी को रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने बिना बेचाण हस्तान्तरण के अवैध तरीके से रेस्पोंडेंट संख्या 2 से मिलावट कर उक्त कृषि भूमि को बेचाण हस्तान्तरण बताकर राजस्व रेकॉर्ड के अनुसूचित जाति के व्यक्ति भूराराम ढोली का नाम इन्द्राज करवाकर नियम विरुद्ध हस्तान्तरण करवा लिया। तथा भूराराम ढोली द्वारा उक्त भूमि जरिये बेचाण मीराबाई पत्नी शंकरलाल मेघवाल निवासी रोवाडा को दिनांक 04.06.2014 को खसरा नंबर 573 रकबा 0.29 हैक्टेयर हस्तान्तरित कर दिया गया उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करके किया गया है। जिसमें अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम की भूमि का अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण हुआ है। इससे रेस्पोंडेंट संख्या 1 को खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। न ही अपीलांट को अपीलाधीन आदेश प्राप्त करने का हक अधिकार था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम की खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण किसी भी अन्य जाति के हक में नहीं किया जा सकता है इस प्रकार रेस्पोंडेंट द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही प्रारंभ से शुन्य है जबकि उक्त कृषि भूमि पर अपीलांटगण का कब्जाकाश्त है तथा आज दिनांक तक उस भूमि पर काश्त करते

क्रमश.....2

जिला कलेक्टर, पाली



आ रहे हैं। वर्तमान में भूमी अपीलांटगण एवं उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम दर्ज है। अतः प्रारम्भ से शून्य आदेश के लिए म्याद के बिन्दु को गौण माना जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 7/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 एवं श्रीमान अति. संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय के प्रकरण संख्या 110/2016 व 111/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2017 की प्रति भी पेश की गई। साथ ही उक्त आराजी खसरा नंबर 573 की वर्ष 2074-2077 की जमाबंदी की फोटोप्रतियां भी पेश कर निवेदन किया कि जैर अपील आदेश प्रारम्भ से शून्य होने से अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोंडेंट वक्त बहस अनुपस्थित रहे। उन्हें आवाजें भी लगवाई गई। रेस्पोंडेंट को भी आवाजें लगवाई वकालतन व असालतन उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं प्रकरण का मैरिट के आधार पर निस्तारण किया जाता है।

बहस सुनी गई पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत दस्तावेजात तथा तहसीलदार सुमेरपुर से प्राप्त संपरिवर्तन आदेश पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आराजी नेतीया , दला पुत्रगण गोमा के नाम थी जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है उनके नाम से उक्त आराजी अन्य खातेदार भूराराम पुत्र चूनाजी ढोली के नाम जरिये बेचाण हस्तान्तरित होना जाहिर किया है जो किसी भी विधी से हो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जो प्रारम्भ से शून्य (Null And Void) होने से निरस्त योग्य है इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के नामान्तरकरण अपील संख्या 07/2016 निर्णय दिनांक 20.05.2016 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 25.04.1971 को विधिविरुद्ध माना गया है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 18.07.2016 को खारिज किया गया है। जिसकी अपील अति. संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील संख्या 110/2016 व 111/2016 जो रेस्पोंडेंट मीराबाई पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल द्वारा की गई जो खसरा नंबर 573 के प्रथम क्रेता भूराराम वल्द चुनाराम जाति ढोली से खरीदकर्ता(पश्चातवृती क्रेता) है। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 15.02.2017 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 एवं तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2016 दोनों को यथावत रखा गया है। तथा नामान्तरकरण संख्या 59 जिससे जैर अपील आराजी का हस्तान्तरण अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति के नाम से कर दिया जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत माना है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के यथावत रखा गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 692 दिनांक 23.05.2017 के अनुसार देवाराम पुत्र नेताराम गजीबाई पत्नी स्व. नेताराम, छोगाराम पुत्र स्व. दलाराम , शांतीलाल पुत्र स्व. दलाराम जातिगण मीणा को खातेदार निवासी बलवना को तहसील सुमेरपुर को मीराबाई पत्नी शंकरलाल के स्थान पर खातेदार दर्ज कर दिया गया है ऐसी स्थिति में संपरिवर्तन आदेश को भी यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। धारा 42 का उल्लंघन कर दर्ज अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अनुसूचित जाति के काश्तकारों को दर्ज करना विधी विरुद्ध होने से उसके पश्चातवृती हस्तान्तरण भी Null And Void होने से निरस्तनीय है। इस बाबत न्यायिक दृष्टांत RBJ (20) 2013 इस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्प्या होता है:-

Section 42 (B)- Transfer of land by member of Scheduled Tribe to member of other caste is Ab-Initio-void. Limitation will not be in focus. After insertion of proviso in Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act. w.e.f. 22.9.1956 in view of clear prohibition continued in said proviso, transfer of land by sale, gift or bequest by a member of Scheduled Caste or Tribe to member of other caste not being Scheduled Caste or Scheduled Tribe is void being prohibited by law and this being against the public policy and as per Section 23 of the Indian Contract Act, such sales cannot be enforced against the member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe. A void order can be examined at any stage on merits and the issue of limitation will not be in focus.

Am
जिना कलेक्टर, पाली

उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, की धारा 23 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचाण की जाने से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार प्रतिबंधित होने से उक्त बेचाण लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता अर्थात् उक्त बेचाण एवं उसके पश्चातवृत्ति बेचाण एवं उसके बाद की गई भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ से शून्य (Null And Void) है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत अन्दर म्याद भी शुमार मानते हुए स्वीकार की जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/संपरिवर्तन/14/811 दिनांक 18.06.2014 को तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया उसे निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार से प्राप्त संपरिवर्तन पत्रावली पालनार्थ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16-4-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।



Ansh
(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली